FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू) मुकाम

राहुल बनाम सरकार

[illegible] मुकदमा नं. 184/2019 सन्

तारीख	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
[illegible]/19	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act. मय कार्यालय रिपोर्ट हो कर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जाकर मिसल दिनांक 26.7.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
26/7/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ.साहब मुख्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 11.9.19 को पेश हों (हस्ताक्षर)	
11/9/19	अभिभाषकगण द्वारा कार्य स्थगित कर रखा है मिसल दिनांक 25-10-19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
25/10/19	वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब स्थानान्तरण पर जा चुके हैं। मिसल दिनांक 18.12.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
[illegible]/19	वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अशुद्ध दर्ज होना कथन करते हुए नाम शुद्धि का अनुरोध चाहा गया है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से विवादित कृषि भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम विरासतन इन्तकाल के जरिए दर्ज हुआ है जो राजस्व कार्मचारियों द्वारा प्राप्त कुर्सीनामा व उसकी जाँच के आधार पर दर्ज किया जाता है व सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए तस्दीक किया जाता है जिस कारण प्रार्थी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में विहित प्रक्रिया के अधीन दर्ज हुआ है जिसमें धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं तथा भू राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण
	अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से स्वीकार किये जाने योग्य नही है। प्रार्थी चाहे गये अनुतोष के लिए अन्य कानूनी विकल्पों के प्रयोग हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र संधारणीय नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार हो कर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)